

## मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।

### अल्पकालीन निविदा सूचना

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए प्राधिकरण की शर्तों पर मुहरबन्द निविदायें दिनांक 09.09.2015 को दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक सचिव कक्ष/प्राधिकरण सभागार में रखे बॉक्स में प्राप्त की जायेंगी तथा उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (यदि हों), खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र, निविदा प्राप्ति तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय समय (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) में क्रय किये जा सकते हैं। निविदा खरीदते समय ही धरोहर धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बन्धक हों, जमा करानी होगी। प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि अलग-अलग जमा करानी होगी। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने, स्वीकार करने एवं कार्य को कई ठेकेदारों में विभाजित करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 में निहित होगा तथा किसी भी स्थिति में उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 का निर्णय अंतिम होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु०)	धरोहर राशि (रु०)	निविदा मू० (5: वैट सहित (रु०))	ठेकेदार पंजीकृत श्रेणी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	रुकमणी विहार आवासीय योजना में सैक्टर-2 में निर्मित 1-बी.एच.के. भवनों के मध्य की सड़क एवं आन्तरिक विकास कार्य।	69,28,693.35	5,46,500.00	1050.00	ए	छः माह
2.	रुकमणी विहार योजना में मुख्य द्वार से रोटरी तक 30 मी० चौड़ी सड़क (बॉयी ओर) के अवशेष भाग का सुदृढीकरण का कार्य (पार्ट-ए)।	41,02,747.50	4,05,500.00	788.00	बी	तीन माह
3-	रुकमणी विहार योजना में मुख्य द्वार से रोटरी तक 30 मी० चौड़ी सड़क (दॉयी ओर) का सुदृढीकरण का कार्य (पार्ट-बी)।	74,77,723.50	5,74,000.00	1050.00	ए	चार माह
4-	बुर्जा चौराहे से रुकमणी विहार में रोटरी तक सड़क सुधार व निर्माण कार्य।	81,39,888.50	6,07,000.00	1050.00	ए	छः माह
5-	गोवर्धन में गोवर्धन-मथुरा रोड पर रोड के मध्य इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	9,02,945.00	90,500.00	315.00	डी	एक माह
6-	चैतन्य विहार आवासीय योजना प्रथम व द्वितीय चरण में 6 पार्कों का विकास/मरम्मत का कार्य।	5,31,424.50	53,500.00	315.00	डी	तीन माह
7-	सुदामापुरी के सामने एन.एच.-2 पर स्थित नाले की मरम्मत व सफाई का कार्य।	1,28,208.22	13,000.00	210.00	डी	दो माह
8-	रुकमणी विहार आवासीय योजना में रोटरी में पैडस्टल का निर्माण कार्य।	1,48,184.00	15,000.00	210.00	डी	एक माह
9-	रुकमणी विहार आवासीय योजना में निर्मित विभिन्न श्रेणी के भवनों की सुरक्षा का कार्य।	-	10,000.00	1,000.00	-	एक वर्ष

- क्रम संख्या-1, 2, 3 व 4 पर वर्णित कार्य की निविदा प्राधिकरण में श्रेणी सिविल में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों की टू-बिड सिस्टम के आधार पर तथा क्रम संख्या-2, 3 व 4 पर अंकित कार्य के लिये स्वयं का हॉटमिक्स प्लान्ट होगा, को मान्य की जायेगी। क्रम संख्या-5, 6, 7 व 8 पर अंकित कार्य की निविदा प्राधिकरण में श्रेणी सिविल में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों को मान्य की जायेगी। क्रम संख्या-9 पर अंकित कार्य की निविदा उन फर्म/ठेकेदारों को जारी की जायेगी जिनके पास पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में पंजीकरण/लाइसेंस, कार्यालय-आयुक्त, भविष्य निधि संगठन, ई.एस.आई, श्रम विभाग, आयकर विभाग एवं सेवाकर सम्बन्धी आदि विभागों में पंजीकरण होना आवश्यक है एवं उक्त कार्य हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। निविदादाता निविदा देने से पूर्व कार्यस्थल, स्थिति एवं दशाओं का भली-भाँति निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन कर लें। निविदा स्वीकृति के बाद कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य नहीं होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/०८,टी०सी० दिनांक 08 जून 2012 में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त टेण्डर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में "कट आफ लिमिट" से प्रतिशत बिलो टेण्डर पर कार्य स्वीकार करने के साथ-साथ अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत बिलो (निम्न) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (निम्न) दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी ली जायेगी। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी, राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर०/बैंक गारण्टी/एन०एस०सी० जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बंधक हों, जमा करायी जायेगी।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों विनियम) अधिनियम 1996 तथा प्रदेश नियमावली वर्ष 2009 के अन्तर्गत अधिष्ठानों व श्रमिकों का पंजीयन नियमानुसार कराना अनिवार्य होगा।
- शासन द्वारा समय-समय पर जो टैक्स निर्धारित किया जायेगा, उसकी कटौती ठेकेदार के बिल से नियमानुसार की जायेगी

- 5- यदि कार्य में सर्विस टैक्स की देयता होगी तो उक्त के जमा कराने के साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर सर्विस टैक्स की धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी ।
- 6- उपरोक्त कार्यो के निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मयूर बिहार, मथुरा से निर्धारित निविदा मूल्य जमा कर क्य किये जा सकते हैं ।
- नोट:-** निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लें । निविदा के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा । निविदा की शर्तें प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण की वैबसाइट [www.mvdamathura.com](http://www.mvdamathura.com) पर देखा जा सकता है ।

सचिव,  
म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा ।